

सं-ज्ञाकेवि/हि.पख./रा.भा./03/2011/794

दिनांक: 16 सितंबर, 2025

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने तथा अधिकारियों/कर्मचारियों/छात्रों में हिन्दी के प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से दिनांक 18-26 सितंबर, 2025 तक हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान निम्नलिखित प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

हिन्दी पखवाड़ा-2025 में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं की सूची

क्र.सं.	कार्यक्रम	दिनांक	श्रेणी	समय	स्थान
1.	हिन्दी निबंध प्रतियोगिता	दिनांक-18 सितंबर, 2025 (गुरुवार)	1. विद्यार्थी वर्ग 2. संकाय सदस्य/कर्मचारी वर्ग	अपराह्न 3.00 बजे से 4.00 बजे अपराह्न 4.00 बजे से 5.00 बजे	सभागार, द्वितीय तल प्रशासनिक भवन
2.	स्वरचित हिन्दी काव्य पाठ प्रतियोगिता	दिनांक-19 सितंबर, 2025 (शुक्रवार)	1. विद्यार्थी वर्ग 2. संकाय सदस्य/कर्मचारी वर्ग	अपराह्न 3.00 बजे से 4.00 बजे अपराह्न 4.00 बजे से 5.00 बजे	सभागार, द्वितीय तल प्रशासनिक भवन
3.	आशु भाषण प्रतियोगिता	दिनांक-22 सितंबर, 2025 (सोमवार)	1. विद्यार्थी वर्ग 2. संकाय सदस्य/कर्मचारी वर्ग	अपराह्न 3.00 बजे से 4.00 बजे अपराह्न 4.00 बजे से 5.00 बजे	सभागार, द्वितीय तल प्रशासनिक भवन
4.	हिन्दी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	दिनांक-23 सितंबर, 2025 (मंगलवार)	विद्यार्थी वर्ग/ संकाय सदस्य/ कर्मचारी सम्मिलित रूप से	अपराह्न 3.00 बजे से 4.00 बजे	सभागार, द्वितीय तल प्रशासनिक भवन
5.	हिन्दी टंकण प्रतियोगिता	दिनांक-24 सितंबर, 2025 (बुधवार)	कर्मचारी वर्ग	अपराह्न 4.00 बजे से 5.00 बजे	कम्प्यूटर लैब
6.	पुरस्कार वितरण तथा समापन समारोह	दिनांक -26 सितंबर, 2025 (शुक्रवार)	अपराह्न 3.00 बजे से 5.00 बजे		सभागार, द्वितीय तल प्रशासनिक भवन

नोट:- हिन्दी पखवाड़ा 2025 का विस्तृत विवरण अनुलग्नक-1 में संलग्न है।

यह कार्यालय आदेश माननीय कुलपति के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(हस्ताक्षर)
16/09/25
उप कुलसचिव-II

प्रतिलिपि: सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु

1. सभी स्कूल के डीन
2. डीन (शैक्षणिक), डीन (आर एंड डी), निदेशक (आइक्यूएसी)
3. छात्र कल्याण / चीफ प्रोक्टर
4. सभी स्कूल के विभागाध्यक्ष
5. उप-कुलसचिव-I, II/ जनसंपर्क अधिकारी
6. भंडार व क्रय(प्रभारी)/सुरक्षा अधिकारी/संपदा अधिकारी (प्रभारी)
7. कुलपति, कुलसचिव, वित्त अधिकारी निजी सचिव
8. विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी